<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ</u>

फा. संख्या 6/20/2023-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>
मामला संख्याः ए डी (ओआई) -19/2023

दिनांकः 30 सितंबर, 2023

विषय: चीन जन.गण. और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ट्राइक्लोरो आइसोस्यान्यूरिक एसिड" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा ''पाटनरोधी नियमावली'' भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, बोदल कैमिकल लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे ''आवेदक'' अथवा ''घरेलू उद्योग'' भी कहा गया है) ने चीन और जापान (''संबद्ध देश'') से अथवा वहां से निर्यातित **"ट्राइक्लोरो आइसोस्यान्यूरिक एसिड"** (जिसे यहां आगे **"संबद्ध वस्तु"** या **"विचाराधीन उत्पाद"** अथवा **"टीसीसीए"** भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे **"प्राधिकारी"** भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयतों के पाटन से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है । तदनुसार, आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है ।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद (''पीयूसी'') "ट्राइक्लोरो आइसोस्यान्यूरिक एसिड" है जिसे आगे टीसीसीए भी कहा गया है। टीसीसीए एक रासायनिक यौगिक है जिसे आम तौर पर डिसइंनफैक्टेंट, ब्लीचिंग एजेंट और जल उपचार रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है । यह एक सफेद क्रिस्टलीय पावडर होता है इसमें तेज क्लोरीन सी गंध होती है । टीसीसीए एक शक्तिशली ऑक्सीकरण एजेंट है और इसे व्यापक रूप से स्विमिग पूल तथा औद्योगिक जल उपचार और स्वच्छता में प्रयोग किया जाता है ।

4. टीसीसीए एक डिसइंनफैक्टेंट, काई नाशक और बैक्टीरिया नाशक है जिसे मुख्यत: स्वीमिग पूल और डाई स्टफ में प्रयोग किया जाता है । इसे वस्त्र उद्योग में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है । इसे पूल और स्पा में सामान्य सफाई, पशुपालन और मछली पालन में रोगों की रोकथाम और उपचार, फल और सब्जी संरक्षण, अपशिष्ट जल उपचार के रूप में व्यापक रूप से, उद्योग में और वातानुकूल में पुन: चक्रित जल के लिए काई नाशक, ऊनी कपड़ों के लिए सिकुड़नरोधी उपचार, बीजों के उपचार और कार्बनिक रसायन सिंथेटिक में प्रयोग किया जाता है ।

5. विचाराधीन उत्पाद अध्याय 29 के टैरिफ कोडों 2933 69 10 तथा 2933 69 90 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

6. विषय की जांच में रुचि रखने वाले पक्ष इस जांच की शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीयूसी/पीसीएन पद्धति, यदि कोई हो, पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं।

ख. <u>समान वस्तु</u>

7. आवेदक ने बताया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु के बीच कोई खास अंतर नहीं है । आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है । संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से

प्रतिस्थापनीय हैं । आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु के उपभोक्ता संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं । इस प्रकार, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को चीन जन.गण. और जापान से आयात किए जा रहे उत्पाद की "समान वस्तु" के रूप में माना गया है ।

ग. **<u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>**

8. यह आवेदक मै. बोदल कैमिकल लिमिटेड (बीसीएल) द्वारा दायर किया गया है। इस संयंत्र को ट्रीयोन कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया था और बीसीएल ने कंपनी में 100 प्रतिशत शेयर प्राप्त कर लिए । आवेदक भारत में समान उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है ।

9. आवेदक ने बताया है कि उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के आयातक से संबंधित नहीं हैं । इस प्रकार, आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम2(ख) के अंतर्गत यथापरिभाषित घरेलू उद्योग है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है ।

घ. **<u>सामान्य मूल्य</u>**

<u>चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का अनुमान</u>

10. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और यदि चीन के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं तो उनके सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए । आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों के अलावा विचाराधीन उत्पाद को अमरीका और स्पेन में उत्पादित किया जाता है । तद्नुसार, इन देशों में से बाजार अर्थव्यवस्था वाले उचित तीसरे देश का चयन करना होगा । तथापि, इन देशों में कीमत के संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । इसके अलावा, चूंकि विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित टैरिफ वर्गीकरण नहीं है, इसलिए अमरीका से आयातों या कुल निर्यातों की कीमत संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है । तद्नुसार, आवेदक ने अमरीका को भारत से अपनी स्वयं के

निर्यात की कीमत पर बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत के रूप में भरोसा किया है । प्राधिकारी ने जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ इस पर विचार किया है ।

सामान्य मूल्य का अनुमान - जापान

11. आवेदक ने दावा किया है कि जापान में कीमत से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं हैं । आवेदक जापान में समान उत्पाद के लिए तुलनीय कीमत प्राप्त करने में असमर्थ रहा था । इसके अलावा, चूंकि उत्पाद का कोई समर्थित टैरिफ वर्गीकरण नहीं है, इसलिए जापान से निर्यातों की कीमत भी उपलब्ध नहीं है । तद्नुसार, सामान्य मूल्य को वैकल्पिक आधार पर निर्धारित करना अपेक्षित था ।

12. चूंकि आवेदक तथा जापान में उत्पादकों की वास्तविक उत्पादन लागत तक कोई पहुंच नहीं है इसलिए आवेदक ने इस स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर उत्पादन लागत निर्धारित की है । इस प्रयोजनार्थ आवेदक ने ट्रेड मैप के अनुसार जापान में आयातों की कीमत पर आधारित जापान में एक कच्ची सामग्री कॉस्टिक सोडा की कीमत पर भरोसा किया है । बिक्री,सामान्य और प्रशाएसनिक व्ययों तथा लाभ सहित अन्य कच्ची सामग्रियों, सुविधाओं और उत्पादन लागत के कारकों पर उपलब्ध सूचना के आधार पर दावा किया गया है । जापान के लिए दावा किए गए सामान्य मूल्य के पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत हैं

ड. निर्यात कीमत

13. आवेदक ने उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। तथापि, प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस के सौदावार आंकड़ों में यथासूचित संबद्ध वस्तु की सीआईएफ कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित की गई संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत पर विचार किया है । कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा, और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं ।

च. पाटन मार्जिन

14. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है । इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि भारतीय बाजार में संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु पाटित की जा रही

है और पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है जो जांच की शुरूआत को उचित ठहराता है।

छ. <u>क्षति तथा कारणात्मक संबंध का साक्ष्य</u>

15. घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है । आवेदक ने दावा किया है कि उसे पाटित आयातों के परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति हुई है । क्षति अवधि के दौरान आयातों से संबंधित सूचना और घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड दर्शाते हैं कि आयातों में क्षति अवधि के दौरान समग्र रूप से वृद्धि हुई है और भारतीय उत्पादन और खपत की दृष्टि से भी ये काफी अधिक हैं । आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हो रही है और उसने ऐसी कीमत वृद्धि को रोका है जो अन्यथा बढ़ गई होती। आवेदक को काफी अधिक अल्प प्रयुक्त क्षमता का सामना करना पड़ रहा है और उसका बाजार हिस्सा अत्यंक कम है । आवेदक ने यह भी दावा किया है कि उसे अपने उत्पादन के निपटान के लिए निर्यात करने को मजबूर होना पड़ा है और उसने अपनी बिक्री लागत से कम पर घरेलू बाजार में बिक्री की है । परिणामस्वरूप आवेदक ने संबद्ध वस्तु को घाटे में बेचा है और उसे नकद घाटा हुआ है तथा अपनी नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय प्राप्त हुई है । संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत को उचित ठहराते हैं ।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

16. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरूआत करते हैं ।

झ. <u>संबद्ध देश</u>

17. वर्तमान पाटनरोधी जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. और जापान हैं ।

ञ. <u>जांच की अवधि</u>

18. आवेदक ने जांच की अवधि के लिए 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक (12 माह की अवधि) का प्रस्ताव किया था। प्राधिकारी ने इस जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा प्रस्तावित जांच अवधि पर विचार किया है । क्षति जांच अवधि में 2019-20, 2020-21, 2021-2022, और पीओआई की अवधि शामिल होगी ।

ट. प्रक्रिया

19. वर्तमान जांच के लिए नियामावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का पालन किया जाएगा ।

ठ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

20. प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in, adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, और adg16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

21. संबद्ध देशो में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे डीजीटीआर की अधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें ।

ड. <u>समय सीमा</u>

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in, adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, और adg16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाली या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत करें।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

28. प्रश्नावली के उत्तर सहित-प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए- गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

29. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या "अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

30. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो)और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है ।

31. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

32. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

33. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ण. **<u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>**

34. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश भेज दें । अनुरोधों/उत्तरों/सूचना का अगोपनीय अंश परिचालित नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है ।

त. **<u>असहयोग</u>**

35. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी